

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]

दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 181

No. 02]

DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/FAUSA 16, 1937

[N.C.T.D. No. 181

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

संशोधित अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

सं. फा. 10(13)/पर्या./2015/98-130/डायरेक्टर पर्या./12-34.—दिल्ली आने वाले सामान से लदे हुए हल्के तथा भारी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के (iv) भाग में प्रकाशनार्थ हेतु जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या./2015/7400-7422 दिनांक 23-12-2015 के, बिन्दु संख्या (i) में रुपये 1,300/- के स्थान पर रुपये 1,400/- पढ़ा जाए।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

AMENDMENT IN NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2016

No. F. 10(13)/Env/2015/98-130/dircnv/12-34.—In Point No. (i) of the Notification No. F. 10(13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015 with respect to Environment Compensation Charge (ECC) on Delhi bound light and heavy duty commercial vehicles loaded with goods issued by Department of Environment, Govt of NCT of Delhi for publication in Part IV of Delhi Gazette Extraordinary, Rs. 1300/- is to be read as Rs. 1400/-.

KULANAND JOSHI, Special Secy. (Environment)